26/9/19 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है।
बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौरान बहस
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र
के तथ्यों को दोहराया। तथा प्रार्थना पत्र
को स्वीकार करने का निवेदन किया।

मुख्य तर्क विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
का यह है, कि मुकदमा के निस्तारण
पर्यन्त प्रार्थी के हिस्से तक अप्रार्थीगण
को पाबंद किया जाकर अस्थाई आदेश
प्रदान किया जावे।

बाद बहस हमने पत्रावली का —
आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन

26/9/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी
	5 किया। वादगत भूमि वाके माल मौजा छलोवद आराजी नम्बर 147, 149, 154 155 किता 4 रकबा 3.14 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदार पारस कुमार पुत्र रामगोपाल के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार पारस कुमार की मृत्यु होना तथा अप्रार्थी नं० 1 का पारस कुमार का पुत्र होना तथा अप्रार्थी नं० 2 का पारस कुमार की पत्नी होना स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी नं० 2 द्वारा पारस कुमार की मृत्यु के उपरान्त इसका विवाह किसी अमित कुमार से करना अवगत कराया है। हस्ब राजस्व अभिलेख एवं स्वीकृति वादगत भूमि के प्रार्थीगण हिस्सा 4/5 तथा अप्रार्थी 1 व 2 हिस्सा 1/5 के खातेदार प्रकट होते है अर्थात भूमि के पक्षकार सहखातेदार की हैसियत रखते है भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो रहा है, इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीगण का वादगत भूमि के किस भाग पर अधिकार या कब्जा है। इस प्रकार हस्ब रिकार्ड प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का समान 28/9/15	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है।

चूंकि भूमि सहखातेदारी की प्रतीत होती है, ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि किस पक्ष का एकमेव कब्जा है। सहखातेदारी की भूमि पर हर इंच भूमि पर अपने खातेदार तक हर के सहखातेदार का कब्जा माना जाने की अवधारणा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी: सभी का कब्जा माना जावेगा। सुविधा के संतुलन में यह देखना होगा कि अस्थाई आदेश से किस पक्ष को असुविधा होगी?

चूंकि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है और बिना विभाजन हुये यह नहीं कहा जा सकता कि कित्ता 4 की भूमि के किस खसरा नम्बर या उनके अंश पर प्रार्थीगण का किस हिस्सा पर कब्जा है। इस प्रकार यदि प्रार्थीगण के कथनों को आधार मान कर ही अप्रार्थी: के विरुद्ध अस्थाई आदेश जारी कर दिया जाता है, तो इससे प्रार्थीगण को तो किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी इसके विपरीत अप्रार्थी 1 व 2 को असुविधा होना संभाव्य है।

इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

प्रकरण वर्णित भूमि कोटिनेन्सी में है और यदि प्रार्थीगण के कथनों को आधार मानकर ही अप्रार्थी 1 व 2 को जो आदेश

25/9/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग से निरुद्ध कर दिया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण 1 व 2 को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन संभव नहीं है।	
	प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया गया। प्रार्थीगण की या अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 की वादग्रस्त भूमि पर क्या स्वत्व प्राप्त है? या होने चाहिये यह दावा में सम्यक साक्ष्य व समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर तय होना है। सामान्यतः एक खातेदार के विरुद्ध दूसरे खातेदार को अस्थाई आदेश प्रदान किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।	
	प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का धारा 212 R.T. Act 1955 की शर्त मय पर खरा नहीं उतरता है।	
	अतः उपरोक्त के आधार पर प्रा0 पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फाईल शुमार होकर दावा के साथ संलग्न रहे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.9.19 को विवृत न्यायालय में सुनाया।	
	हस्ताक्षर 26/9/19 ([illegible] मीणा) R.A.S.	